जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि

1145. **श्री रणजीत सिंह :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान जीवन रक्षक दवाओं सहित लगभग सभी दवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में 1991-92 के वित्तीय वर्ष के दौरान दवाओं के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मूल्य वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त करते समय सरकार ने एक राष्ट्रीय औषधि मूल्य नीति घोषित किये जाने की घोषणा की थी, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं और औषधि मूल्य नीति को कब तक घोषित किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) :(क) और (ख) : अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों की कीमतें एक सूत्र के अनुसार तथा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर और डी आई सी पी, जो औद्योगिक लागत और कीमतों पर सरकार का एक विशेषज्ञ निकाय है, की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात डी पी सी ओ, 1978 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। कीमत नियंत्रण से बाहर सूत्रयोगों के मामले में जब भी कोई अनुचित कीमत वृद्धि नोटिस में आती है तो सरकार इसे उचित स्तर पर लाने के लिए हस्तक्षेप करती है। यह व्यवस्था, कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करती है कि जिस कीमत वृद्धि की अनुमति दी गई है वह संबंधित वस्तु की लागतों में वास्तविक वृद्धि से संबंधित है। पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 3,000 सूत्रयोगों की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित/संशोधित की गई हैं, अधिकांश मामलों में कीमतों में वृद्धि 15 से 25 प्रतिशत के बीच हुई है।

(ग) और (घ) औषध नीति 1986 की पुनरीक्षा अंतिम चरणों में हैं।

एच० एफ० सी० और एफ० सी० आई० का अच्छी हालत में न आ पाना

1146. **श्री रणजीत सिंह :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि : (क) क्या सरकार का ध्यान 22 अप्रैल-1992 के "डि इकोनामिक टाइम्स" में "गवर्नमैंट रूल्स आउट रिकवरी ऑफ एच० एफ० सी० एण्ड एफ० सी० आई०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा इन दोनों संस्थाओं के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के सन्दर्भ में इन संस्थाओं का भविष्य क्या है और मार्च, 1992 को इन संस्थाओं में प्रथकतः कितने-कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे; और

(घ) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के भविष्य के बारे में भी कोई विचार किया है; और यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों को पुनः रोजगार की पेशकश दिये जाने की संभावना है और कितने कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार एच एफ सी और एफ सी आई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 8642